


7-6.24

पत्रावली आज पेश हुई।

अपीलान्ट वकील उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। न्यायालय में राजस्व अपील दिनांक 14.08.2015 को दर्ज करने के बाद दिनांक 01.03.2016 को उत्तरदातागण के सम्मन डाक रजिस्टर्ड भेजने के आदेश दिये गये थे। अपीलान्ट वकील ने आज दिनांक तक उत्तरदातागण के सम्मन पेश नहीं किये। अपीलान्ट वकील को सम्मन तामिली कई अवसर दिये जाने बावजूद भी उत्तरदातागण के सम्मन पेश नहीं किये। लगभग आठ वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी उत्तरदातागण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई, तलबी के अभाव उक्त प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत राजस्व अपील अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

